न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **336/2018**

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मोहन सिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत निवासी– सेवकीखुर्द तहसील भोपालगढ, जोधपुर।		1. इन्द्रसिंह पुत्र स्व. मालमसिंह 2. जीवनसिंह पुत्र स्व. मालमसिंह 3. सूरजकंवर पत्नी स्व. प्रेमसिंह निवासी– सेवकीखुर्द तहसील बावडी, जोधपुर। 4. भंवर कंवर पुत्र स्व. मालमसिंह पत्नी स्व. पदमसिंह निवासी– भाचरणा, तहसील लूणी, जोधपुर। 5. अणची कंवर पुत्री स्व. मालमसिंह पत्नी स्व. गोपालसिंह निवासी– उजलिया, तहसील बावडी, जोधपुर 6. रसालकंवर पुत्री स्व. मालमसिंह पत्नी शेरसिंह निवासी– उजलिया तहसील बावडी, जोधपुर। 7. ओमकंवर पुत्री स्व. मालमसिंह पत्नी पदमसिंह निवासी– अणवाणा तहसील बावडी, जोधपुर। 8. कानसिंह पुत्र गुमानसिंह के का0मु0 1. मालमकंवर पत्नी कानसिंह 2. शैतानसिंह पुत्र कानसिंह 3. दयालसिंह पुत्र कानसिंह निवासी– सेवकीखुर्द तहसील भोपालगढ, जोधपुर। 4. अन्तर कंवर पुत्र कानसिंह पत्नी भवानीसिंह निवासी – चंगावडा खुर्द तहसील बावडी, जोधपुर। 5. सन्तोष कंवर पुत्री कानसिंह पत्नी दिलीपसिंह निवासी – हिंगाणिया, तहसील पीपाड शहर,जोधपुर। 6. सोहनकंवर पुत्री कानसिंह पत्नी ज्ञानसिंह निवासी–जोलियाली तहसील व जिला, जोधपुर। 7. कालूकंवर पुत्री कानसिंह पत्नी हीरसिंह निवासी–बालाकुंआ तहसील व जिला, जोधपुर। 9. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गंगाणी तहसील बावडी जोधपुर। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भोपालगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.05.2017 उपखण्ड अधिकारी, बावडी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 112/2011 अनवान कानसिंह बनाम मालम सिंह में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई, अपीलान्टस की ओर से।
2–श्री नरेन्द्र गोयल, अधिवक्ता रेस्पो.संख्या 1 ता 7 की ओर से
3– श्री अचल सिंह नान्दडा, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से।
4– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
4– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 30 जून, 2023

अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि गुमानसिंह जो दोनों पक्षों के पूर्व पुरूष थे, के फौत होने पर नामा0 संख्या 12 व 13 भरे गये जिसमें उनके तीनों पुत्रों का नाम नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 10 में बहिस्सा 1/3 मालमसिंह व बहिस्सा 2/3 मोहनसिंह व कानसिंह अंकित किया गया। उक्त नामा0 के अनुसार आगे की जमाबन्दी कायम की जानी थी वो नामान्तरकरण के अनुसार नहीं कर केवल मालमसिंह के नाम दर्ज कर दी गई, जो महज एक लिपिकिय त्रुटि थी जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक मानते हुए उक्तानुसार शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण ने अपनी उपस्थिती जरिये अधिवक्ता के दर्ज करवाई गई। उक्त प्रार्थना पत्र के विचारण के दौरान मालमसिंह का देहान्त हो गया जिनके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 14.03.2016 को प्रार्थना पत्र पेश किया। उसी दरमियान अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान को पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही प्रार्थी के धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रकरण को मनमाने रूप से दिनांक 11.5.2017 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 11.5.2017 अपीलार्थी की पीठ पीछे बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही व निर्धारित तारीख 29.5.2017 से पूर्व ही पारित किया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को तत्समय नहीं हो सकी। अपीलार्थी के द्वारा पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ में पेश की, वह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बावडी में कब आई इसकी कोई सूचना पक्षकारों को नहीं दी गई। प्रार्थी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ कार्यालय व उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बावडी में जाकर पत्रावली का पता किया तब नकल हेतु आवेदन करने के निर्देश दिये जाने पर दिनंक 22. 6.18 को आवेदन कर प्रमाणित प्रति प्राप्त की तब अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। ऐसे में प्रार्थी के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षम्य किया जावे तथा अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजात के विपरित पारित करने में भारी भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को लोक अदालत में निस्तारित करने में त्रुटि कारित की है क्योंकि लोक अदालत में वही मुकदमें निस्तारित किये जाते है जिनमें पक्षकार आपस में सहमत हो परन्तु हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान को उक्त प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने सम्बन्धी कोई सूचना तक नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त प्रकरण के अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान मालमसिंह के देहान्त उपरान्त उनके वारिसान को रेकर्ड पर ही नहीं लिया गया औंर अन्य पक्षकारों को कोई

सम्बन्धी कोई नोटिस जारी किये गये। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश लोक अदालत की भावना की परिभाषा में नहीं आता है और न ही लोक अदालत की क्षेत्राधिकारिता में आता है। मात्र इसी आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में यह अंकित कर दिया कि उक्त प्रकरण धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद के जरिये निस्तारण करवाने योग्य है जबकि जमाबन्दी नामान्तरकरण के आधार पर कायम की जाती है और जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटि से गुमानसिंह के दो पुत्र कानसिंह व मोहनसिंह का नाम इन्द्राज होने से रह गया था। उक्त लिपिकीय त्रुटि किसी भी स्तर पर संशोधित की जा सकती थी, जोकि खातेदारी घोषणा की परिभाषा में नहीं आती है परन्तु हस्तगण प्रकरण में फौतेदगी नामा0 संख्या 12 व 13 में स्व0 गुमानसिंह के वारिसान का नाम दर्ज हुआ अर्थात खातेदार दर्ज हुए जिनका जमाबन्दी के अगले चौसाले में किया जाना था परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश ऐसा नहीं किया गया, इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के प्रस्तुत को निस्तारित किये बिना ही तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया और खारिज कर दिया गया जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय ने न केवल क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर आदेश पारित कर दिया बल्कि विधि का विश्लेषण किये व बिना समझे ही, मस्तिष्क का उपयोग किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है और अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण इसी तरह की प्रकृति का था जिसे स्वीकार करते हुए राजस्व रेकर्ड में हुए गलत इन्द्राज को सही किया जाना था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस और ध्यान नहीं देकर जल्दबाजी में प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए खारिज कर दिया जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामा0 संख्या 12 व 13 मौजा सेवकीखुद के अनुरूप जमाबन्दी कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार यह निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि गुमानसिंह जो दोनों पक्षों के पूर्व पुरूष थे, के फौत होने पर नामा0 संख्या 12 व 13 ग्राम सेवकीखुर्द भरे गये जिसमें उनके तीनों पुत्रों का नाम नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 10 में बहिस्सा 1/3 मालमसिंह व बहिस्सा 2/3 मोहनसिंह व कानसिंह अंकित किया गया। उक्त नामा0 के अनुसार आगे की जमाबन्दी कायम की जानी थी वो नामान्तरकरण के अनुसार नहीं कर केवल मालमसिंह के नाम दर्ज कर दी गई, जो महज

किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों व दस्तावेजों में जालसाजी कर पटवारी से मिलीभगत कर कांट–छांट कर नामान्तरकरण प्रस्तुत किये जबकि उपरोक्त नामान्तरकरण केवल मालमसिंह के नाम पर ही भरा गया तथा उसी के अनुसार जमाबन्दी तैयार हुई थी। अपीलार्थी ने पटवारी के नामान्तरकरण में फर्जी तरीके से अपना नाम लिख दिया जब अपनी गलती का पता चलातो पुनः कांट–छांट कर दी तथा नकल प्राप्त कर शुद्धि का दावा प्रस्तुत कर दिया जबकि नामा0 व जमाबन्दी को सामान्य दृष्टि से देखने से ही पता चलता है कि कांट–छांट में जो नाम लिखे व काटे गये है उनके पेन की स्याही व राईटिंग भी भिन्न–भिन्न है। ऐसे में जालसाजी कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में प्रतिवादी मालमसिंह को नोटिस तामील करवाये गये तथा दौराने वाद मालमसिंह का देहान्त होने पर प्रत्यथी संख्या 1 से 7 को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मालमसिंह ने उपरोक्त वाद में अपनी उपस्थिति जरिये अधिवक्ता दर्ज करवाई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.5.2017 को वाद को लोक अदालत में वाद पत्र में किये गये कथनों व प्रस्तुत दस्तावेजात का मैरिट पर निर्धारण करते हुए गुणावगुण पर प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए खारिज कर दिया तथा अपीलार्थीगण को छूट प्रदान की गई कि यदि वह चाहे तो बंटवारे का वाद प्रस्तुत कर सकते है परन्तु अपीलार्थी ने बंटवाडे का वाद दायर नहीं कर लम्बे समय बाद यह अपील न्यायालय हाजा में प्ररतुत की है। जबकि लोक अदालत में पारित आदेशों के विरूद्ध धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम में अपील का कोई प्रावधान व अधिकार उत्पन्न नहीं होता है जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया, तथा याचिका खारिज की गई थी।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर निस्तारित किया गया है अगर अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से व्यथित था तो वह माननीय उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 में जा सकता था परन्तु वह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न जाकर न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2017 को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.05.2017 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया।जिससे यह पाया कि अपीलान्ट मोहनसिंह प्रार्थना पत्र के जरिये मालमसिंह के वारिसान के साथ अपना नाम

लिये घोषणात्मक दावा ही उचित माध्यम है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने के उ अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधि बावडी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2017 को यथावत रखा जाता है। आज दिनांक 30 जून, 2023 को सुनाया गया।

(ओ० पी० बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर